(36)

समक्ष : राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

विविध /2017 III/विविध/रीवा/भू.रा./2017/2516

भोला प्रसाद तनय श्री कृष्णानन्द निवासी बधैया तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ।

.........आवेदक

श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा आज दि. 3-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

भैरव प्रसाद तनय श्री कृष्णानन्द निवासी बधैया तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.

........अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने वावत धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। :

1. यहकि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी 2251/दो/2001में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 से निगरानी में आदेश पारित किया जाकर निराकरण विधिवत किया जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2001 को स्थर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया ।
2. यहकि, श्रीमान न्यायालय के निगरानी आदेश दिनांक 05.06.2017 के टाइटल में अनावेदक भोला प्रसाद तनय कृष्णानन्द निवासी ग्रम माजनखुर्द थाना बैढन जिला रीवा पता गलत टाइपिग से हो गया है। एवं इसी प्रकार अंतिम आदेश के पैरा –6 में अतिरिक्त आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 3.5.2016 स्थिर रखा जाने का टाईप से गलत अकित हो गया है।
3. यहकि, आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार सुधार किया जाना न्याय संगत है।

   निगरानी में पारित आदेश 5–6–2017 के टाइटल नाम मे अनावेदक भोला प्रसाद तनय श्री कृष्णानन्द निवासी ग्रम बधैया तहसील हनुमना जिला रीवा किया जाना न्याय संगत है। एवं इसी प्रकार निगरानी के अंतिम पैरा –6 में अतिरिक्त अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 29–10–2001 स्थिर रखा जाता है पढा ज़ावें सुधार किया जाना न्याय संगत है। ।
4. यहकि, माननीय न्यायालय से आवेदक का निवेदन है कि उक्त संशोधन मान्य करने की कृपा करें ।
5. अन्य बिन्दु सुनवाई के समय उठाये जावेगें ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र मान्य किया जाना न्याय संगत है।

आवेदक 3/8/17
भोला प्रसाद द्वारा अभिभाषक
सुनील सिंह जादौन एडवोकेट

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / रीवा / भू.रा. / 2017 / 2516

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने वात धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2251–दो / 2001 में पारित आदेश दिनांक 5.6.2017 में प्रथम पृष्ठ पर अनावेदक भोला प्रसाद तनय कृष्णानंद निवासी ग्राम माजनखुर्द थाना बैढन जिला रीवा पता गलत टाइपिंग से हो गया हैं एवं इसी प्रकार अंतिम आदेश के पेरा–6 में अतिरिक्त आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 3.5.16 स्थिर रखा जाने का टाईप से गलत अंकित हो गया है। उसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, तथा अनावेदक भोला प्रसाद तनय कृष्णानंद निवासी ग्राम माजनखुर्द थाना बैढन जिला रीवा के स्थान पर भोला प्रसाद तनय कृष्णानंद निवासी ग्राम बधैया तहसील हनुमना जिला रीवा पढ़ा जावे। इसी प्रकार अंतिम आदेश के पेरा–6 में अतिरिक्त आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 3.5.16 के स्थान पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 29.10.2001 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	